N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0301 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/12/2024 17:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 27/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 13:43 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/12/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/12/2024 17:12:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** BADIGHATI,P.S.THANWALA, DISTRICT NAGAUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KUSUM SHARMA

(b) Wife's Name (पत्नी का नाम): SUBASH CHANDRA SHARMA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1954 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	442/42, DHAN NADI ROAD,BHAJANGANJ, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	442/42, DHAN NADI ROAD,BHAJANGANJ, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JORARAM		पिता:BAKSARAM	1. MUKAM FALKEE POST MUNGDRA,RIYABANDI,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 25.09.2024 को श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नि श्री सुभाष चन्द्र शर्मा उम्र 70 साल निवासी 442/42 धान नाडी रोड़ भजनगंज अजमेर ने अपने पति श्री सुभाष चन्द्र शर्मा पुत्र स्व० श्री मदनमोहन शर्मा उम्र 75 साल नि० 442/42 धान नाडी रोड़ भजनगंज अजमेर के साथ उपस्थित कार्यालय होकर मन् निरीक्षक पुलिस दीनदयाल वैष्णव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के समक्ष श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मार्कशुदा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थिया ने ग्राम किला, पटवारी हल्का बाडी घाटी, तह0 रियाबडी, जिला नागौर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 233 में सें श्री अनुज खोसला पुत्र के0सी0 खोसला नि0 नाकामदार अजमेर के हिस्से की कृषि भूमि 0.0488 हैक्टयर दिनांक 22.06.2021 व 0.0488 हैक्टयर दिनांक 29.07.2021 को क्रय कर रजिस्ट्री करवायी थी। मुझे रजिस्ट्री करवाने के पश्चात नामान्तरण खुलवाने के संबंध में जानकारी नही थी। अब जानकारी होने पर मैंने हल्का पटवारी श्री जोराराम से बाडी घाटी स्थित पटवार भवन पर जाकर सम्पर्क किया तो उसने नामान्तरण खोलने के तीन लाख रूपये मांग कर 2.50 लाख रूपये लेना तय किया तथा दिनांक 17.09.2024 को पटवार घर पर ही मेरे से 33 हजार रूपये ले लिये व उसी दिन शाम को हमारे पीछे पीछे हमारे घर पर अपनी कार नं0 आरजे 22 सीबी 3404 से आ गया तथा 67 हजार रूपये और ले गया तथा कहा कि 1.50 लाख रूपये और दे देना तुम्हारा काम हो जायेगा। मेरी व मेरी पति की तबीयत खराब रहती है तथा दिमाग हार्ट व अस्थमा का इलाज चल रहा है, इसलिए रिपोर्ट देने में देरी हो गयी। मै पटवारी को रिश्वत नही देना चाहती हूं। कानूनी कार्यवाही करावे । मेरा पति भी मेरे साथ आये है । प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बंध में पूछने पर सही होता बताया। परिवादीगण ने पूछने पर यह भी बताया कि पटवारी श्री जोराराम पटवारी हल्का बाडी घाटी तह0 रियाबड़ी जिला नागौर से हमारी कोई रंजिश नहीं है व ना ही उधार का लेन-देन है। पटवारी जब 17-9-2024 को हमारे घर पर शाम को करीब 6 बजे आया तथा 67 हजार रूपये गिनकर अपनी जेब में रखकर ले गया, यह सारा घटनाक्रम हमारे घर पर लगे हुये सीसी टीवी केमरा की विडियो रिकोर्डिंग में रिकॉर्ड हो गया है, जिसकी कॉपी एक पेनड्राइव(सेनडिक्स) में करके साथ लाए हैं । पटवारी जोराराम नें दि0 17-09-24 को शाम करीब 4 बजे पटवार घर बाड़ी घाटी पर हमारे से दोनो रजिस्ट्रीयों की फोटो कोपी ले ली तथा नामान्तरण खोलने के 2.50 लाख रूपये मांग कर उस समय बैग में रखे 33 हजार रूपये हमारे से ले लिये। हम हमारे वाजिब काम की रिश्वत नहीं देना चाहते है। पटवारी 1.50 लाख रूपये और रिश्वत के मांग कर रहा है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाये जाने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय के श्री रामचन्द्र स0उ0नि0 को बुलाकर परिवादीगण श्रीमती कुसुम व श्री सुभाष चन्द्र शर्मा से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादीगण को आरोपी पटवारी के पास बाड़ी घाटी स्थित पटवार घर पर जाकर अपने कार्य व रिश्वत राशि की मांग करने के सम्बन्ध में वार्ता करने व होने वाली वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे नये मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करने बाबत समझाया गया। परिवादीगण नै बताया कि पटवारी की लोकेशन मालूम करके ही जाना पड़ेगा इसलिए हम एक बार पटवारी जोराराम को फोन करके पूछ लेते है। इस पर समय करीब 2.57 पीएम पर परिवादी कुसुम के मो0न0 [redacted] से आरोपित पटवारी श्री जोराराम के मो0न0 [redacted] पर फोन मिलाकर घण्टी जाने की आवाज आने पर परिवादिया के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वॉइस रिकार्डर की रिकार्डिंग चालू पर वार्ता करवाई गयी तो पटवारी ने दिनांक 26/09/2024 को दोपहर 12 बजे आने के लिए कहा। रिकार्डर सुरक्षित रखवाया व परिवादीगण को दिनांक 26.09.2024 को सुबह 11 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने व श्री रामचन्द्र एएसआई से मिलकर उसके साथ बाडी धाटी जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु पाबन्द कर रूखसत दी गई। मन् नि0 पु0 दिनांक 26/09/2024 को राजकार्य से बाहर जाना तय होने से रामचन्द्र एसआई को परिवादिगण के साथ मय डिजिटल वाइस रिकार्डर के बाड़ी घाटी जाकर सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया।नांक 30.09.2024 को श्रीमती कुसुम व श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित कार्यालय आये। श्री रामचन्द्र एएसआई ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर बताया कि मै व परिवादीगण दिनांक 26/09/2024 को समय करीब 12०:00 पीएम पर कार्यालय से रवाना होकर प्राईवेट टेक्सी कार से बाड़ी घाटी स्थित पटवार घर पर पहुँचे। मैने परिवादिया को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर दोनों परिवादीगण को पटवार घर के लिए रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादीगण वापस आ गये तथा बताया कि पटवारी पटवार घर में नहीं था कोई अन्य व्यक्ति शायद चपरासी बैठा था। मैने पटवारी को फोन लगाया तो

उसने आज बाहर होना बताकर कल आने के लिए कहा। मैने वॉयस रिकार्डर लेकर बन्द कर सुरक्षित रखा। परिवादिया का मोबाईल चैक किया तो पटवारी के मो0न0. [redacted] पर समय 12.45 पीएम पर 07 सेकण्ड होना पाया गया। इसके बाद हम रवाना होकर वापस कार्यालय आ गए। दिनांक 27.09.2024 को परिवादीगण के कार्यालय में उपस्थित आने पर पटवारी की लोकेशन मालूम करने हेतु उसके मोन0 [redacted] पर 01०:43 एएम पर परिवादियां के मोन0 [redacted] से फोन मिलाकर घण्टी जाने पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डीवीआर की रिकार्डिंग चालु कर वार्ता करवाईगई तो पटवारी ने परिवादियां को रूपये लेकर आने व परिवादियां के जाने पर उसके सामने ही काम करने की कहा। करीब 01 घण्टे बाद परिवादियां का आरोपी के पास नहीं पहूंचने पर उसका फोन आया। जो परिवादियां ने मेरे सामने ही रिसीव नहीं किया। आरोपी का उक्त फोन 02०:44 पीएम पर आया, जो नहीं उठाने से मिस्डकॉल हो गया। इसके बाद परिवादिया के मोबाइल से आरोपी के मोबाइल पर समय करीब 02०:48 पीएम पर फोन मिलाकर घण्टी जाने की आवाज आने पर डीवीआर की रिकोर्डिंग चालू कर वार्ता करवायी गयी तो आरोपी पटवारी ने कहा कि आप आए् नहीं तो परिवादिया ने अपने दोहिते की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। जिस पर आरोपी ने सोमवार को आने के लिए कहा। दिनांक 30.09.202 को पटवारी श्री जोराराम की लोकेशन की जानकारी हेतु परिवादियां के मो0न0 [redacted] से आरोपी के मो0न0 [redacted] पर फोन मिलाकर घण्टी जाने की आवाज आने पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर की रिकार्डिंग चालु कर परिवादियां के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने बाडी घाटी पटवार घर पर ही होना व परिवादियां को वहीं पर बुलाना तय हुआ। इस पर परिवादियां व उसके पति श्री सुभाष चन्द को कार्यालय के श्री रामचन्द्र स0उ0नि0 के साथ कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर देकर प्राइवेट वाहन से रवाना बाडी घाटी, थांवला की ओर किया जो 03.25 पीएम पर परिवादीगण व रामचन्द्र एएसआई उपस्थित कार्यालय आए। रामचन्द्र एएसआई ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्रस्तुत किया। परिवादियां ने बताया कि हम यहां से रवाना होकर पटवार घर बाडी घाटी पहूंचे। पटवार घर के बाहर पटवारी की कार पडी हुई थी। हमने पटवार घर में प्रवेश किया तो पटवारी के पास कुछ ही देर में उसके मिलने वाले आ गए। इसलिए थोडी देर बरामदे में बैठकर इन्तजार किया। कुछ देर बाद पटवारी हमारे पास बरामदे मे आया तथा उसने कहा कि मैंने आपका काम कर दिया है, पांच तारिख को आपको नकल मिल जाएगी। उसने अपने मोबाईल में मेरे नाम म्यूटेशन खोला जाना भी बताया। पटवारी द्वारा रूपये मांगने पर मैंने 7 तारिख को देने के लिए कहा तो वह नाराज हो गया तथा उसने कहा कि आज शाम 8 बजे तक या कल दिन में 12 बजे तक रूपये दे देना वरना मैं इसे वापस डिलीट कर दूंगा। पटवारी को कल ही रूपये देने पडेंगे। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादियां के उपरोक्त कथनों की ताईद हुई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी में रखा गया। अपना खाता ऐप से परिवादीया के द्वारा खरीदे गये खसरा नम्बर 1086/233 की वर्तमान जमाबन्दी का प्रिन्ट प्राप्त किया तो आज दिनांक 30.09.2024 में नामान्तरकरण संख्या 1106, 30.09.2024 बेचान खसरा खंख्या 1086/233 पर अनुज खोसला पुत्र के.सी. खोसला से अनुज खोसला पुत्र के.सी. खोसला, कुसुम शर्मा पत्नि सुभाष चन्द्र शर्मा पर नामांतरकरण प्रक्रियाधीन है अंकित होना पाया गया। इस प्रकार परिवादीया के कार्य से सम्बन्धित आरोपी के कथनो की भी पुष्टी होना पाया गया। रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होकर आरोपी द्वारा 01.10.2024 को ही रिश्वत राशि लेना तय किया है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अजमेर के नाम तहरीर मूर्तिब कर कार्यालय के श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक को रवाना किया गया जो कुछ समय बाद दो कर्मचारियों के उपस्थित कार्यालय आया। दोनो कर्मचारियों को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम हेमन्त शर्मा, निजी सहायक व दूसरे ने अपना नाम रवि कुमार सिसोदिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड द्वितिय अजमेर होना बताया। दोनो कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2024 को सुबह 9 बजे उपस्थित आने के लिए पाबंद कर रूख्सत किया गया। परिवादीगण की उम्र क्रमश 70, 75 वर्ष होकर काफी बुर्जुग एवं स्वास्थ्य के लिहाज से अधिक देर तक बैठा रहना संभव नही होने से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1.50 लाख रूपये लेकर सुबह 9 बजे उपस्थित आने के लिए पाबंद कर रूख्सत किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में फोल्डर सं0 01 से 06 तक सेव है, की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने हेतु मन निरीक्षक पुलिस एवं श्री राजूराम कानि0 1391 मसरूम हुआ। दिनांक 01.10.2024 को 09 ए.एम. पर परिवादीया श्रीमति कुसुम शर्मा व सह परिवादी श्री सुभाषचन्द शर्मा उपस्थित कार्यालय आए। तलविदा गवाह श्री हेमन्त शर्मा निजी सहायक, श्री रवि कुमार सिसोदिया कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। परिवादीगण का दोनो गवाहान से आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाह को परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। तत्पश्चात दोनो गवाहान से की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनो ने अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। रूबरू गवाहान एवं परिवादीगण श्रीमति कुसुम शर्मा, श्री सुभाष चन्द शर्मा की उपस्थिति में परिवादियां श्रीमति कुसुम शर्मा व आरोपी पटवारी श्री जोराराम के मध्य मोबाईल पर एवं परिवादीगण एवं आरोपी पटवारी जोराराम के मध्य रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो वायॅस रिकॉर्डर में लगे हुये मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट

कर उक्त वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द ट्रांसस्क्रिप्ट मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार की गई। आवाज की पहचान परिवादीगण द्वारा की गई। वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता के फोल्डर न0 01 में क्रमशः 01 से 06 तक में रिकार्ड वार्ताओं का हिन्दी रूपांतरण तैयार किया गया। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व उसके हिन्दी रूपांतरण का परिवादी व दोनो गवाहान ने वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड मूल वार्ता को सुन-सुनकर मिलान किया। शब्द ब शब्द सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की। मूल मेमोरी कार्ड सहित वॉयस रिकार्डर को लैपटॉप से कनेक्ट कर लैपटॉप की सहायता से तीन पृथक पृथक पेन ड्राईव सेनडीस्क कम्पनी 32 जीबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार की जाकर वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम.डी अंकित किया गया। दो पैन ड्राईव पृथक-पृथक उन्ही की पैकिंग में रखा जाकर पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एम.डी. 1 (न्यायालय हेतु) एंव एम.डी 2 (आरोपी हेतु) अंकित किया गया। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली हालत में सुरक्षित रखा गया। पैन ड्राईव की हैश वैल्यू पृथक से निकाली जाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादिया श्रीमती कुसुम शर्मा ने अपने पति एवं सहपरिवादी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा की उपस्थिति में आरोपी श्री जोराराम, पटवारी पटवार हल्का बाडी घाटी तहसील रियाबंडी जिला नागौर को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि अपने पास से 500-500 रूपये के 300 नोट, कुल 1,50,000 रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटों पर श्री विनोद कुमार शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से नियमानुसार फिनोफथलीन पाउडर लगवाकर पाउडरयुक्त नोट परिवादीया के पास मौजुद काले रंग के पर्श में रखवाये गये। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त पृथक से तैयार किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादिया ने बताया कि अभी थोडी देर पहले मैने पटवारी जोराराम को फोन लगाया तो उसने पटवार घर बाडी घाटी पर ही बुलाया है। ट्रेप कार्यवाही के आयोजन हेतु ट्रेप बॉक्स तैयार किया जा चुका है तथा प्राईवेट वाहन भी आ चुके है। विडियोग्राफर श्री लक्ष्मण सिंह भी मय विडियो कैमरा के उपस्थित कार्यालय आया है। श्री रामचन्द्र एएसआई मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड, परिवादिया श्रीमति कुसुम शर्मा, सहपरिवादी श्री सुभाष चन्द शर्मा को प्राईवेट वाहन से एंव मन् निरीक्षक पुलिस दीनदयाल मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, विडियोग्राफर, श्रीमति रूचि उपाध्याय महिला कानि0 321 मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर के प्राइवेट वाहन से, श्री बच्छराज सिंह उप निरीक्षक, श्री कैलास चारण हैड कानि0 62, श्री राजूराम कानि0 1391, श्री प्रदीप सिंह निजी सहायक, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक मय प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही कार्यालय से रवाना बजानिब बाडी घाटी थांवला की ओर रवाना होकर बाडी घाटी पटवार घर से कुछ पहले रूके तथा परिवादीगण एवं श्री रामचन्द सउनि0 को प्राईवेट वाहन से पटवार घर बाडी घाटी के लिए रवाना किया। कुछ समय बाद श्री रामचन्द्र सउनि0 ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल बताया कि पटवार घर के ताला लगा हुआ है। पटवारी को परिवादिया से फोन लगाया तो फोन नही उठाया, हम परिवादिया के प्लॉट पर जा रहे है आप थोडी दुरी पर ही चाय की होटलों पर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहे। करीबन एक घंटा बाद आरोपी को परिवादिया ने फोन मिलाया तो आरोपी ने फोन उठाकर कहा कि आप घर चले जाओ। आपका काम हो जायेगा। इस पर सभी अपने अपने साधनो से रवाना होकर इस समय उपस्थित कार्यालय आये। हालात उच्च अधिकारियों को अवगत कराये गये। परिवादिया से रिश्वत राशि एक प्लास्टिक की थैली में रखवाकर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखी गई। परिवादीगण एवं गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई। परिवादिया को बताया गया कि आरोपी का फोन आने पर तत्काल सूचित करे तथा समस्त स्टाफ, गवाहान को दुरभाष पर निर्देश मिलने पर तैयार रहने हेतु पाबन्द किया गया। आरोपी के नही मिलने से परिवादिया को डिजिटल वाईस रिकार्डर नही दिया गया इसलिए कोई वार्ता नही हुई। परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान को हिदायत देकर रूख्सत किया गया। दिनांक 02.10.2024 को श्री रामचन्द्र सउनि0 ने बताया कि परिवादिया श्रीमति कुसुम शर्मा का रात्रि में करीब 8.15 पीएम पर फोन आया तथा बताया कि हमारे घर आने के बाद अननॉन नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल पर फोन आया और कहा कि मेडम कहा हो मैने पूछा कि आप कौन कहा से बोल रहे हो, तो उसने कहा कि अजमेर ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैने कहा कि मै आपको नही जानती आप कौन बोल रहे हो तो फोन काट दिया। फिर मैने वापस फोन लगाया तो कहा कि मैडम आपका नम्बर सेव नही है इसलिये गलती से फोन लग गया। इसी नम्बर से दुबारा अभी कुछ देर पहले फोन आया और कहा कि मैडम मै आपके घर पर आ रहा हूँ पटवारी जी ने नकल भेजी जो ले लो। इस पर मैने कहा कि मै पटवारी जी से ही ले लूगी मै आपको नही जानती। समय 8.23 पीएम पर पुनः परिवादिया को फोन आया ओर कहा कि जोराराम व उसके साथी ने हमारे मकान के बाहर आकर घण्टी बजाई तो मैने दरवाजा नही खोला जिस पर जोराराम पटवारी का फोन आया ओर मुझे कहा कि मैडम दरवाजा खोलो मुझे आपके नकल देनी है। जिस पर मैने कहा कि मेरी बेटी ने मना कर रखा है, मेरी पति दवाई लेकर सो रहे है । मै रात को दरवाजा नही खोलूंगी आप मेरे वाट्सअप कर देना। जिस पर जोराराम ने कहा कि मैडम आपने किसी अधिकारी को मेरी शिकायत तो नही की है। जिस पर मैने कहा कि हमारे तो आप ही अधिकारी हो हम किसी को नही जानते। जोराराम ने कहा कि मैडम आप मेरी शिकायत मत करना मेरे बच्चे मर जायेंगे। आप अपनी बेटी की सौगन्ध निकालकर कहो कि आपने मेरी शिकायत नही की है। जिस पर मैने कहा कि मै

किसी की सौगन्ध नही लेती हूॅ। जोराराम ने कहा कि मैडम आप दरवाजा खोल दो मुझे आप से बात करनी है तो मैने मना कर दिया, तो उसने कहा कि नकल मै आपके दरवाजे पर लगे लैटर बॉक्स में रखकर जा रहा हूॅ। अभी सुबह 8.37 एएम पर परिवादिया से मैने बात की ओर नकल का वाट्सअप भेजने की कहा तो उसने मुझे नकल वाट्सअप की जिसके अनुसार दिनांक 01.10.2024 को समय 6.29 पीएम पर परिवादिया का नामान्तरण संख्या 1106 स्वीकृत हो चुका है एवं नकल मे परिवादिया का हिस्सा 244/6875 होना अंकित है। इस प्रकार परिवादिया का काम पूर्ण हो चुका है। आरोपी बहुत सर्तक एवं चालाक है। परिवादिया को बताया गया कि जब भी आरोपी का फोन आये हमे तुरन्त सुचित करे। दिनांक 08.10.2024 को परिवादिया श्रीमति कुसुम शर्मा अपने पति श्री सुभाष चन्द शर्मा के साथ उपस्थित कार्यालय आई तथा बताया कि पटवारी जोराराम दिनांक 01.10.2024 को रात्रि में 08०:20 पीएम पर करीब हमारे घर के बाहर आया तथा मेरे द्वारा दरवाजा नहीं खोलने पर मोबाईल पर वार्ता कर मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन का नामान्तरण खोलकर स्वीकृत करवाकर जमाबन्दी की कॉपी हमारे मकान के गेंट पर लगे हुए लेटर बॉक्स में रखकर गया था। उसके बाद आज दिवस तक उसने रिश्वत राशि लेने के लिए दुबारा संपर्क नहीं किया और न ही हमने फोन किया। संभतयाः उसको एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई है। इसलिए अब रिश्वत लेने की बहुत कम संभावना है। परिवादियां ने बताया कि हमारे घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की दिनांक 17.09.2024 के घटनाक्रम की पेन ड्राइव भी हम साथ लेकर आए है। इस पर उक्त पेन ड्राइव को रूबरू गवाहान अवलोकन कर जप्त करने के उददेश्य से दोनो गवाहो को जरिए दूरभाष तलब करने पर दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय उपस्थित आए। परिवादियां ने रूबरू गवाहान अपने घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में दिनांक 17.09.2024 को आरोपी के घर पर आने व रिश्वत राशि ले जाने के संबंध में हुई रिकार्डिंग से संबंधित पेन ड्राइव प्रस्तुत की। जिसकी फर्द पेशकशी एवं जप्ती पृथक से तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। इसी कार्यवाही के दौरान परिवादियां के मोबाईल नंबर [redacted] से आरोपी पटवारी के मोबाईल नंबर [redacted] पर फोंन मिलाकर वार्ता करवानी चाही, तो आरोपी ने फोन रिसीव नहीं किया। कुछ समय बाद करीब 04-32 पीएम पर आरोपी का परिवादियां के मोबाईल पर फोन आया, तो उसके द्वारा कहा गया कि आपका काम हो गया मस्त रहो। रिश्वत राशि जो देना तय हुआ था, उसकी बात करने पर आरोपी द्वारा फोन काट दिया गया। इस प्रकार आरोपी को परिवादियां द्वारा ब्यूरो में की गई शिकायत के संबंध में भनक लग जाने की संभावना होने से अब आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग नहीं जा रही है तथा परिवादियां का काम भी आरोपी द्वारा किया जा चुका है। अतः अब आरोपी द्वारा रिश्वत लिए जाने की कोई संभावना नहीं होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः रूबरू गवाहान परिवादियां द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 1.50 लाख रूपये पुनः परिवादियां को लौटाए गए व परिवादियां द्वारा उसका कार्य किया जाने के संबंध में आरोपी द्वारा उसके निवास पर लगे हुए लेटर बॉक्स में रखी गई जमाबन्दी की कॉपी प्रस्तुत की, जो रूबरू गवाहान जरिए फर्द पेशकशी कब्जे एसीबी ली गई। उपरोक्त तथ्यो से पाया गया कि परिवादिया श्रीमती कुसुम शर्मा ने ग्राम किला पटवारी हल्का बाडी घाटी) तह0 रियांबडी जिला नागौर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 233 में सें श्री अनुज खोसला पुत्र के0सी0 खोसला नि0 नाकामदार अजमेर के हिस्से की कृषि भूमि 0-0488 हैक्टयर दिनांक 22-06-2021 व 0-0488 हैक्टयर दिनांक 29-07-2021 को क्रय कर रजिस्ट्री करवाई थी जिसके नामान्तरण खुलवाने के लिए हल्का पटवारी श्री जोराराम से सम्पर्क किया तो उसने नामान्तरण खोलने के तीन लाख रुपये मागं कर 2.50 लाख रुपये लेना तय कर दिनांक 17.09.24 को ही पटवार घर पर ही 33 हजार रुपये ले लिए तथा उसी दिन शाम को परिवादीगणो के पीछे पीछे उनके घर पर जाकर 67 हजार रुपये और ले लिए व 1.50 लाख रुपये और देने के लिए कहा । मागं सत्यापन वार्ता(हिन्दी रुपान्तरण) मे परिवादिया द्वारा हां ठीक है फिर पैसै लेकर के आउ क्या कहने पर आरोपी द्वारा हां हा आ जाओ कहा जाता है परिवादिया द्वारा अरे वो कितना डेढ लाख हुँ कहने पर आरोपी द्वारा हां हां हां हां कहा जा है । इसी प्रकार रुबरु मागं सत्यापन वार्ता मे आरोपी द्वारा नही पैसै तो देने पडेगें ऐसा मत करो आप मैनैं तो नामाकंन दर्ज ही करा दिया अगर नहीं करवाता तो फिर क्या होता कहा जाता है । आरोपी द्वारा पैसै तो अभी दे दो फिर कहने पर परिवादिया द्वारा अभी कहा लाई हुँ मैं कहने पर आरोपी द्वारा तो फिर मैं क्या पागल थोडी हूँ आप ऐसे क्या कर रहे हो तथा बाद मे तो अब मैं फिर वापस डिलीट कर देता हुँ आप ऐसा करना (प्रक्रियाधीन नामान्तरण के सम्बन्ध मे) कहा जाता है । आरोपी द्वारा देखो आना तो पहले पेमेन्ट देना पडेगा यह तो ठीक है बाकी फिर आप कहोगे कि मेरा काम हुआ नहीं सीधी सी बात है मैं वापस डिलीट कर दुंगा यह क्लीयर स्थिति है देखो अपने आपका यह नाम है आपका यह कहकर बाद मे हां और कल पेमेन्ट नहीं देओगे तो फिर मेरे को पता नही है भाई आपका महीने मे नकल मिले डेढ महीने मे मिले आप जानो आपका काम जाने सीधी सी बात है वहा तो मैं भी नहीं जा सकता और नहीं मेरे पास इतना टाईम है । इसके अतिरिक्त परिवादिया द्वारा अपने घर मे लगे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिगं मे आरोपी परिवादीगण से रुपये लेकर रखना पाया गया जिसका पेन ड्राईव कब्जे एसीबी लिया गया है । इस प्रकार आरोपी श्री जोराराम पुत्र बक्साराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी मुकाम फालकी पोस्ट मूगंदडा तहसील रियाबंडी जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार हल्का बाडी घाटी तहसील रियाबड़ी जिला नागौर उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाने पर जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान

जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है। (दीनदयाल) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जोराराम पुत्र बक्साराम जाति जाट उम्र 42 साल निवासी मुकाम फालकी पोस्ट मूगंदडा तहसील रियाबंडी जिला नागौर हाल पटवारी, पटवार हल्का बाडी घाटी तहसील रियाबड़ी जिला नागौर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रूप सिंह ,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 233 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1662-65 दिनांक 20-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः−1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर क्रम संख्या-1, जोधपुर। 2- जिला कलक्टर,नागौर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Roop Singh **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 20.12/2024 1.:..3

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/10/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)